

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 58  
जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)

|   | वास्तविक 2020-2021 |       |                 | बजट 2021-2022   |       |                 | संशोधित 2021-2022 |       |                 | बजट 2022-2023   |       |                 |
|---|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
|   | राजस्व             | पूंजी | जोड़            | राजस्व          | पूंजी | जोड़            | राजस्व            | पूंजी | जोड़            | राजस्व          | पूंजी | जोड़            |
| कुल   | 30757.00           | ...   | 30757.00        | 30757.00        | ...   | 30757.00        | 34704.46          | ...   | 34704.46        | 35581.44        | ...   | 35581.44        |
| वसूलियां  | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | ...               | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             |
| प्राप्तियां   | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | ...               | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             |
| निवल  | 30757.00           | ...   | 30757.00        | 30757.00        | ...   | 30757.00        | 34704.46          | ...   | 34704.46        | 35581.44        | ...   | 35581.44        |
| क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:          |                    |       |                 |                 |       |                 |                   |       |                 |                 |       |                 |
| <b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण</b>                      |                    |       |                 |                 |       |                 |                   |       |                 |                 |       |                 |
| <b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>                                       |                    |       |                 |                 |       |                 |                   |       |                 |                 |       |                 |
| 1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान | 279.00             | ...   | 279.00          | 279.00          | ...   | 279.00          | 279.00            | ...   | 279.00          | 279.00          | ...   | 279.00          |
| 2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता                           | 30478.00           | ...   | 30478.00        | 30478.00        | ...   | 30478.00        | 32978.00          | ...   | 32978.00        | 33923.00        | ...   | 33923.00        |
| 3. क्षतिग्रस्त अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए अनुदान            | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | 647.46            | ...   | 647.46          | ...             | ...   | ...             |
| 4. डेल नागिन लेक के पुनरुद्धार हेतु अनुदान                        | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | ...               | ...   | ...             | 273.00          | ...   | 273.00          |
| 5. 624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्रिटी योगदान हेतु अनुदान       | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | 300.00            | ...   | 300.00          | 130.00          | ...   | 130.00          |
| 6. रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्रिटी हेतु अनुदान              | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | 300.00            | ...   | 300.00          | 476.44          | ...   | 476.44          |
| 7. संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता                  | ...                | ...   | ...             | ...             | ...   | ...             | 200.00            | ...   | 200.00          | 500.00          | ...   | 500.00          |
| <b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>                                  | <b>30757.00</b>    | ...   | <b>30757.00</b> | <b>30757.00</b> | ...   | <b>30757.00</b> | <b>34704.46</b>   | ...   | <b>34704.46</b> | <b>35581.44</b> | ...   | <b>35581.44</b> |
| <b>कुल जोड़</b>   | <b>30757.00</b>    | ...   | <b>30757.00</b> | <b>30757.00</b> | ...   | <b>30757.00</b> | <b>34704.46</b>   | ...   | <b>34704.46</b> | <b>35581.44</b> | ...   | <b>35581.44</b> |
| <b>ख. विकास शीर्ष</b>   |                    |       |                 |                 |       |                 |                   |       |                 |                 |       |                 |
| <b>अन्य</b>   |                    |       |                 |                 |       |                 |                   |       |                 |                 |       |                 |
| 1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान                  | 30757.00           | ...   | 30757.00        | 30757.00        | ...   | 30757.00        | 34704.46          | ...   | 34704.46        | 35581.44        | ...   | 35581.44        |
| <b>जोड़-अन्य</b>  | <b>30757.00</b>    | ...   | <b>30757.00</b> | <b>30757.00</b> | ...   | <b>30757.00</b> | <b>34704.46</b>   | ...   | <b>34704.46</b> | <b>35581.44</b> | ...   | <b>35581.44</b> |
| <b>कुल जोड़</b>   | <b>30757.00</b>    | ...   | <b>30757.00</b> | <b>30757.00</b> | ...   | <b>30757.00</b> | <b>34704.46</b>   | ...   | <b>34704.46</b> | <b>35581.44</b> | ...   | <b>35581.44</b> |

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में योगदान के लिए अनुदान:** ये प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि को अंशदान के लिए हैं।

2. **संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान संघ राज्यक्षेत्र को अपने संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए इसकी सहायता के लिए है।

3. **क्षतिग्रस्त अवसंरचना की स्थायी मरम्मत के लिए अनुदान:** अवसंरचना जो वर्ष 2014 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था की स्थायी मरम्मत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान।
4. **डेडल नागिन झील के पुनरुद्धार हेतु अनुदान:** श्रीनगर में दल-नागीन के पुनर्वास संरक्षण तथा मरम्मत के लिए प्रावधान।
5. **624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान:** कीरू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण हेतु इक्विटी अंशदान प्रदान करने के लिए प्रावधान।
6. **रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान:** 850 एमडब्ल्यू रेटल जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए प्रावधान।
7. **संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन अंतर निधियन की पूर्ति हेतु प्रावधान।